न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश राजनाँदगांव(छ.ग.) पीठासीन अधिकारी–थॉमस एक्का	
जमानत याचिका कमांक–817 / 2022	
आवेदक / अभियुक्त	**संजू पारधी उर्फ संजय, आ.–स्व. रूमसिंह पारधी, आयु 26 वर्ष, निवासी–ग्राम बोईरडीह, थाना ओ.पी. चिखली, जिला राजनाँदगांव(छ.ग)**
विरूद्ध	
अनावेदक / राज्य	छ.ग. राज्य द्वारा पुलिस चौकी चिखली, थाना कोतवाली, जिला–राजनाँदगांव(छ.ग.)
आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. में पारित आदेश	
आरक्षी केन्द्र	पुलिस चौकी चिखली, थाना कोतवाली
अपराध क.	844 / 2022
अंतर्गत धारा	34(2) आबकारी अधिनियम
जमानत आदेश दिनाँक	13.10.2022

13.10.2022

आवेदक / अभियुक्त संजू पारधी उर्फ संजय द्वारा श्री. सुशांत तिवारी अधिवक्ता।

शासन द्वारा श्री. नारायण कन्नौजे लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण केस डायरी एवं आवेदक / अभियुक्त संजू पारधी उर्फ संजय द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता पर तर्क हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र पुलिस चौकी चिखली, थाना कोतवाली, जिला राजनाँदगांव से अपराध कमांक 844 / 2022 अंतर्गत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता पर तर्क किया गया। लोक अभियोजक श्री. नारायण कन्नौजे ने विरोध कर जमानत आवेदन को निरस्त करने का

निवेदन किया। आवेदक/अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त का भाई पिंकू पारधी ने स्वयं का शपथपत्र पेश किया है और इस जमानत आवेदन पत्र को प्रथम जमानत आवेदन पत्र होना बताया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत याचिका किसी भी न्यायालय अथवा माननीय छ.ग.उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष पेश नहीं किया जाना, न ही लंबित होना और न ही निरस्त होना बताया है।

आरक्षी केन्द्र पुलिस चौकी चिखली, थाना कोतवाली, जिला राजनाँदगांव से अपराध क्रमांक 844/2022 अंतर्गत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम की केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अनुसार दिनाँक 10.10.2022 को पुलिस चौकी चिखली, थाना कोतवाली के सहायक उपनिरीक्षक हिम्मत यादव हमराह स्टाफ के साथ जुर्म जरायम पतासाजी हेतु इलाका हाजा रवाना हुए थे तभी चिखली में जरिये मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बोईरडीह में आवेदक/अभियुक्त संजू पारधी अपने कब्जे में एक थैला में अवैध रूप से विक्रय हेतु शराब रखा है। उक्त सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहों के साथ मौके पर पहुँचकर आवेदक/अभियुक्त संजू पारधी से पूछताछ किया गया जो अवैध रूप से शराब रखना स्वीकार किया एवं एक लाल पीला प्लास्टिक थैला में रखे 30 पौवा देशी प्लेन मदिरा पेश किया तथा शराब रखने के संबंध में

कोई कागजात नहीं होना बताया तत्पश्चात् आवेदक/अभियुक्त संजू पारधी के कब्जे से 30 पौवा देशी प्लेन मदिरा प्रत्येक में 180 एम.एल. कुल 5400 एम.एल.(5.4 बल्क लीटर) कीमती 2,400/—रूपए(अक्षरी दो हजार चार सौ रूपए)को गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया तथा शेष विवेचना जारी है।

आवेदक/अभियुक्त दिनाँक 10.10.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त जिला राजनाँदगांव का स्थायी निवासी है। आरोपित अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है, मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। प्रकरण में विवेचना लगभग पूर्ण हो चुकी है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता उक्त सभी परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है परिणामस्वरूप आवेदक/अभियुक्त संजू पारधी उर्फ संजय के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है। यदि आवेदक/अभियुक्त संजू पारधी उर्फ संजय के द्वारा 10,000/—रूपए (अक्षरी दस हजार रूपए) की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का मुचलका पेश करे तो उसे जमानत में छोड़ा जायेगा। शर्तें यह रहेगी कि जमानत में छूटने के बाद अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा और प्रत्येक पेशी में उपस्थित रहेगा तथा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाना को वापस किया जाये।

प्रकरण समाप्त। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियत अवधि में अभिलेखागार भेजी जावे।

सहीं / –
थॉमस एक्का
अपर सत्र न्यायाधीश
राजनाँदगांव(छ.ग.)